क्रम-संख्या–223(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी0–11/लाई0–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 23 अगस्त, 2007
भाद्रपद 1, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन अनुभाग–4

संख्या 1772/30-4–2007-25पी-77
लखनऊ, 23 अगस्त, 2007

अधिसूचना

सा०प०नि०–37

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ0 52 (इ) दिनांक 11 जनवरी, 2002 एवं साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 108 व 119 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या 1284/तीस–4–07–25पी/77, दिनांक 18 जुलाई, 2007 का अधिक्रमण करके राज्यपाल यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि नीचे श्रेणी "क" और "ख" में विनिर्दिष्ट पद गणमान्य व्यक्तियों के होंगे और निदेश देते हैं कि श्रेणी "क" के गणमान्य व्यक्तियों को ले जा रहे यानों को, जब वे राज्य में कहीं भी ड्यूटी पर हों, यान के शीर्ष अग्र भाग पर फ्लैशर सहित लाल बत्ती के प्रयोग करने की अनुज्ञा होगी और श्रेणी "ख" के गणमान्य व्यक्तियों को ले जा रहे यानों को जब वे राज्य में कहीं भी ड्यूटी पर हों, यान के शीर्ष अग्र भाग पर बिना फ्लैशर के लाल बत्ती के प्रयोग करने की अनुज्ञा होगी।

श्रेणी "क"

1–राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,

2–उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री/पूर्व मुख्यमंत्री,

3–उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति,

4–उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष,

5–उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायमूर्ति,

6–लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश,

7–उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण/उत्तर प्रदेश के मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति,

8–नेता विरोधी दल (उत्तर प्रदेश विधान परिषद/उत्तर प्रदेश विधान सभा),

9–उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के न्यायाधीशगण एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशगण, जो पूर्णकालिक रूप से पुनर्नियोजित हों।*

10–महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।

श्रेणी "ख"

1–उत्तर प्रदेश विधान परिषद के उप सभापति,

2– उत्तर प्रदेश की विधान सभा के उपाध्यक्ष,

3– उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री एवं उपमंत्री,

4– उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति,

5– उत्तर प्रदेश के उप मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति

6–मंत्रिमण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, महानिदेशक, पुलिस, उत्तर प्रदेश,

7–राज्य निर्वाचन आयुक्त,

8–अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश।

9–मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ पीठ द्वारा रिट याचिका संख्या–3648(एम/बी)/2006 में पारित आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2006 के अनुसरण में जिला न्यायाधीश एवं उनके समकक्ष उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य अधिकारीगण।

राज्यपाल यह भी निदेश देते हैं कि

श्रेणी–2(क) किसी यान, जो राज्य में कहीं भी ड्यूटी के दौरान राज्य सरकार के निम्नांकित यथा उल्लिखित अधिकारियों को ले जा रहा हो, की छत पर मध्य भाग में फ्लैशर सहित नीली बत्ती के प्रयोग की अनुज्ञा होगी :–

1–औद्योगिक विकास आयुक्त,

2–कृषि उत्पादन आयुक्त,

3–प्रमुख सचिव, गृह विभाग,

4–मण्डलायुक्त,

5–क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक,

6–परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक,

7–जिला मैजिस्ट्रेट,

8–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (जो जिलों के प्रभारी हों),

9–मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

10–अपर जिला मैजिस्ट्रेट/नगर मैजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट (जिलों में तैनात),

11–प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक (जो जिलों में तैनात हों)

12--प्रवर्तन संबंधी ड्यूटी पर तैनात परिवहन, आबकारी, व्यापार कर विभाग के अधिकारी तथा वन विभाग के संबंधित प्रवर्तन अधिकारी (वन क्षेत्र में),

13--माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ पीठ की रिट याचिका संख्या 3648 (एम०/बी०)/2006, दिनांक 16 दिसम्बर, 2006 के आदेशों के अनुसरण में चीफ मेट्रोपोलिटिन मैजिस्ट्रेट/चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट,

14--शासन के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी जब लखनऊ मुख्यालय के बाहर प्रदेश में शासकीय भ्रमण पर जायेंगे तब उनको श्रेणी--2(क) के अनुसार नीली बत्ती लखनऊ नगर निगम सीमा के बाहर अनुमन्य होगी। इसी प्रकार नगर निगम सीमा के बाहर शासकीय दौरे पर अपर महाधिवक्ता को श्रेणी "क" के अनुसार लाल बत्ती अनुमन्य होगी।

(ख) निम्नांकित यथा वर्गीकृत यानों पर बहुरंगी (लाल, नीली तथा सफेद) बत्तियों/हूटर के प्रयोग की अनुज्ञा होगी:--

एम्बुलेन्स, अग्निशमन यान, पेट्रोल कार/स्कोर्ट वाहन और शान्ति व्यवस्था से संबंधित यानों पर।

(ग) निम्नलिखित यानों में हूटर व सायरन (हार्न) के प्रयोग की अनुज्ञा होगी,

(एक) प्रदेश के महामहिम राज्यपाल व प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री के साथ स्कोर्ट में तैनात पुलिस अधिकारियों के यानों में,

(दो) कार्यकारी पुलिस बल में तैनात पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने सम्बन्धित कार्यक्षेत्र के अन्दर आपातकालीन स्थितियों में लगे यानों में,

(तीन) कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत आपातकालीन स्थितियों में लगे यानों में,

(चार) प्रवर्तन संबंधी ड्यूटी के दौरान आपातकालीन स्थितियों में अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत परिवहन विभाग, व्यापार कर विभाग, आबकारी विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों के यानों में।

श्रेणी--3 अन्य प्रदेशों के उपरोक्त श्रेणी के पदाधिकारियों को उ0प्र0 के शासकीय भ्रमण के दौरान उपरोक्त श्रेणीवार लाल फलैशर/लाल बत्ती की सुविधा अनुमन्य होगी।

श्रेणी--4 भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय आधार पर जिन गणमान्य व्यक्तियों को वाहन पर बत्ती हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं उनको उत्तर प्रदेश में तद्नुसार व्यवस्था उपलब्ध रहेगी।

आज्ञा से,
प्रदीप शुक्ला,
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 449 राजपत्र (हि0)--2007--(1163)--597--प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०--ए० पी० 3 सा० परिवहन--2007--(1164)--500--प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।